जनपद गाजियाबाद **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनांक 14-10-20**

थाना कविनगर पुलिस द्वारा दिनांक 04/09/2020 को k.b.104 कविनगर से चोरी की फोर्चुनर कार बरामद व इनामी मुख्य अभियुक्त (50 हजार का पूर्व इनामी) गिरफ्तार- थाना कविनगर पुलिस ने मुख्य अभियुक्त की निशादेही पर कविननगर से चोरी की गई फोर्चुनर कार को शहनवाज नामक व्यक्ति निवासी जिला बागपत के कब्जे से बरामद की गई। जिस पर मुख्य अभियुक्त द्वारा कार चोरी कर रजि0 UP14 DD 5400 को हटाकर फर्जी नंबर प्लेट HR10 CL 8055 लिखवाकर दे दी थी, जिससे की गाडी की पहचान ना हो सके।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त रोबिन उर्फ राहुल उर्फ दीपक ने बताया कि मैने दिनाक 04/09/2020 को कविनगर क्षेत्र से फोर्चुनर कार चोरी की थी और इसके अतिरिक्त जीप कम्पास एवं जैगवार गाडी एव इसके अतिरिक्त वर्ष 2007 से अब तक करीब 50 से अधिक लग्जरी कार हरियाणा, दिल्ली, नोएडा गाजियाबाद, पंजाब, राजस्थान, गुजरात से चोरी कर मणिपुर ,नागालैण्ड मे बेचता था। अधिकतर सारी लग्जरी गाडिया मैने मंत्री, विधायक, सांसद, बडे बडे बिजनैसमैन आदि लोगो की जैगवार /ओडी /मर्सडीज/ बीएमडब्लू इत्यादि चोरी की है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त रोबिन उर्फ राहुल उर्फ दीपक ने बताय़ा कि मै गाडिया चोरी करते समय पौस कालोनियो मे जाता हूँ और वहाँ पर गाडी साफ करने वाले गार्ड/नौकरो से ये कहते हुए कि जल्दी गाडी साफ करो साहब को निकलना है, इस झांसे मे आकर नौकर या गार्ड गाडी की चाबी कहा रखी है इसकी जानकारी हमे दे देते है। जानकारी होने पर मै वहा से गाडी लेकर फरार हो जाता हूं, जिससे कोई भी व्यक्ति हम पर शक नही कर पाता। मै ये वाहन चोरी की घटना सुबह के समय जब गाडयो की साफ सफाई होती है, उसी समय करता हूं। मैने अब तक जितनी घटनाए की है सब सुबह के समय की है। इससे पूर्व दिनाक 04/09/2020 को के ब्लाक कविनगर से फोर्चुनर कार इसी तरीके से चुराई थी और मौके पर फरीदाबाद से चोरी की गई फोर्चुनर कार तेल खत्म होने के कारण छोड दी थी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

1- रोबिन उर्फ राहुल उर्फ दीपक पुत्र टीटू राम निवासी जवाहर नगर थाना सिविल लाइन, हिसार हरियाणा।(मुख्य अभियुक्त)

2- शहनवाज पुत्र मौ0 इस्माइल निवासी गायत्रीपुरम जिला बागपत (खरीदार)

बरामदगी का विवरण –

1 .एक फोर्चुनर कार UP14 DD 5400 सम्बधित मु0अ0स0 12414/2020 धारा 379/411 भादवि थाना कविनगर

आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0स0 1214/2020 धारा 379/411/482 भादवि थाना कविनगर
2. मु0अ0स0 999/14 धारा 25 आर्म्स एक्ट व 482/411 भादवि थाना पटियाला हाउस दिल्ली
3. मु0अ0स0 931/14 धारा 380/411 भादवि थाना पटियाला हाउस दिल्ली
4. मु0अ0स0 12/16 धारा 41D CRPC थाना पटियाला हाउस दिल्ली
5. मु0अ0स0 11012/20 धारा 379/411/34 भादवि थाना तिहाड कोर्ट दिल्ली
6. मु0अ0स0 853/15 धारा 457/380/411 भादवि आउट स्टेशन सैसन कोर्ट दिल्ली
7. मु0अ0स0 815/15 धारा 379 भादवि थाना क्राइम ब्रांच दिल्ली
8. मु0अ0स0 325/15 धारा 379/411 भादवि थाना क्राइम ब्राच दिल्ली
9. मु0अ0स0 23169/15 धारा 379/411 भादवि थाना पटियाला हाउस दिल्ली
10. मु0अ0स0 1064/16 धारा 379/411/482/120बी भादवि थाना सैक्टर 20 नोएडा
11. मु0अ0स0 412/05 धारा 148/149/323/324 भादवि थाना सिविल लाइन हिसार हरियाणा
12. मु0अ0स0 244/07 धारा 457/380 भादवि थाना सिविल लाइन हिसार हरियाणा
13. मु0अ0स0 157/08 धारा 506/34 भादवि थाना सिविल लाइन हिसार हरियाणा
14. मु0अ0स0 996/09 धारा 379/411 भादवि थाना सिविल लाइन हिसार हरियाणा
15. मु0अ0स0 424/09 धारा 451 भादवि थाना सिविल लाइन हिसार हरियाणा
16. मु0अ0स0 309/10 धारा 379/411 भादवि थाना सैक्टर 17 चण्डीगढ।

17. मु0अ0स0 318/10 धारा 380/411 भादवि थाना सैक्टर 17 चण्डीगढ
18. मु0अ0स0 767/10 धारा 379/411/420 भादवि थाना सदर हिसार हरियाणा
19. मु0अ0स0 769/10 धारा 379/411 भादवि थाना सदर हिसार हरियाणा
20. मु0अ0स0 39/11 धारा 379/420 भादवि थाना सिविल लाइन कैथल हरियाणा
21. मु0अ0स0 70/11 धारा 379 भादवि थाना सिविल लाइन कैथल हरियाणा
22. मु0अ0स0 102/11 धारा 379 भादवि थाना थाना सैक्टर 17 चण्डीगढ
23. मु0अ0स0 278/11 धारा 379 भादवि थाना सिविल लाइन हिसार हरियाणा
24. मु0अ0स0 117/11 धारा 379/411 भादवि थाना बलदेवनगर अम्बाला पंजाब
25. मु0अ0स0 118/11 धारा 223/224 भादवि थाना बलदेवनगर अम्बाला पंजाब (कस्टडी से फरार)
26. मु0अ0स0 694/11 धारा 174a भादवि थाना कोतवाली हांसी हरियाणा।

इसके अतिरिक्त अन्य राज्य गुजरात, राजस्थान, चण्डीगढ, पंजाब, हरियाणा आदि से चोरी की गई गाडियो का विवरण व आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा एक नफर अभियुक्त मादक पदार्थ सहित गिरफ्तार-

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा **एक व्यक्ति सुनील पुत्र रामप्रसाद निवासी सैदपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद** को **220 ग्राम एल्प्राजोलम नशीला पाऊडर** के साथ गिरफ्तार किया गया।

कडाई से पूछताछ करने पर पकडे गये अभियुक्त सुनील उपरोक्त ने बताया कि ये नशीला पाऊडर पैसा कमाने के लालच में बेचता हूँ। इस संबंध में थाना भोजपुर पर मु0अ0स0 426/20 धारा 8/21 NDPS ACT पंजीकृत हुआ है।

अपराध कारित करने का तरीका: -उपरोक्त प्रकरणमें पूछताछ करने पर अभियुक्त सुनील उपरोक्त ने बताया कि मैं इस नशीला पाऊडर को घूमफिर कर पैसे कमाने के लिये पुडिया बनाकर बेचता हूँ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण- सुनील पुत्र रामप्रसाद निवासी सैदपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद।

आपराधिक इतिहास :-

1. मु0अ0स0 446/17 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम।
2. मु0अ0स0 404/18 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम।
3. मु0अ0स0 61/20 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट।
4. मु0अ0स0 426/20 धारा 8/21 NDPS ACT।

बरामदगी का विवरण- 220 ग्राम एल्प्राजोलम नशीला पाऊडर।

थाना मसूरी एक नफर शातिर अभियुक्त 01 किलो 150 ग्राम गांजा नाजायज सहित गिरफ्तार-

थाना मसूरी टीम को उस समय सफलता मिली जब रात्रि गस्त के दौरान 01 नफर अभियुक्त अनीस पुत्र अकबर नि0 ग्राम फारुखनगर थाना टीलामोड़ गाजियाबाद को 01 किलो 150 ग्राम गांजा नाजायज सहित निर्माणाधीन मेरठ एक्सप्रेसवे अण्डरपास नहर पटरी मसूरी से गिरफ्तार किया गया।

अपराध करने का तरीका –अभियुक्त अनीस उपरोक्त गांजे को बाहर से लाकर ग्राम नाहल में बेचने का काम करता है। गस्त के दौरान थाना पुलिस टीम द्वारा मेरठ एक्सप्रेसवे अण्डरपास नहर पटरी मसूरी,मसूरी नहर पुल से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अनीस के पास से 01 किलो 150 ग्राम गांजा नाजायज बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में थाना मसूरी पर मु0अ0स0 549/20 धारा 8/20 NDPS Act पंजीकृत किया गया।

नाम पता अभियुक्त -

(1) अनीस पुत्र अकबर नि0 ग्राम फरुखनगर थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0 549/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद

बरामदगी का विवरणः-

1. एक किलो 150 ग्राम नाजायज गांजा

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से एक ई रिक्शा चोरी का सबंधित मु0अ0स0 1194/20 धारा 379 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद बरामद- थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा दिनांक 14.10.2020 को समय 12.30 रेलवे अण्डर पास के पास थाना साहिबाबाद गाजियाबाद से ई रिक्शा चोरी करने वाले अभि0 प्रभु पुत्र चन्द्रभान नि0 म0न0 9/327 सै0 3 राजेन्द्र नगर थाना साहिबाबाद उम्र 24 वर्ष को मय एक ई रिक्शा चोरी का सबंधित मु0अ0स0 1194/20 धारा 379 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद सहित साथ गिरफ्तार किया गयाहै।

अपराध कारित करने का तरीकाः-

अभि0 द्वारा पूछताछ मे बताया गया उसने यह रिक्शा दो - तीन दिन पहले राजबाग कालोनी साहिबाबाद से चुराया था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. प्रभु पुत्र चन्द्रभान नि0 सै0 3 म0न0 9/327 राजेन्द्र नगर थाना साहिबाबाद उम्र 24 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

मु0अ0स0 1194/20 धारा 379/411 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद बनाम प्रभु उपरोक्त

बरामदगी का विवरणः-

एक ई रिक्शा चोरी का सबंधित मु0अ0स0 1194/20 धारा 379 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद

थाना लिंकरोड पुलिस द्वारा घर से चोरी के सामान सहित दो अभियुक्त गिरफ्तार- थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद के नेतृत्व में दिनांक 14.10.2020 को समय 08:40 बजे थाना लिंक रोड़ पुलिस टीम द्वारा होटल क्राउन पार्क के सामने चैकिंग के दौरान अभियुक्त गण को गिरफ्तार किया गया । जिनके कब्जे से एक चोरी का मोबाईल IMEI N0 - 354455107498758 व एक पर्स व 830 रूपये नगद बरामद हुये जिसके सम्बन्ध में थाना लिंकरोड़ गा0बाद पर मु0अ0सं0 0342/20 धारा 454/380/411 भादवि पंजीकृत था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.आमिर पुत्र गबरूद्दीन नि0 बडी मस्जिद के पास ग्राम महाराजपुर थाना लिंक रोड जनपद गा0 बाद
2.मोहित उर्फ चिन्टू पुत्र रामकुमार नि0 शिव मन्दिर के पास ग्राम महाराजपुर थाना लिंक रोड गा0 बाद

बरामदगी का विवरण - . एक चोरी का मोबाईल IMEI N0 - 354455107498758 व एक पर्स व 830 रूपये नगद (मु0अ0सं0 0342/20 धारा 454/380/411 भादविथाना लिंक रोड गाजियाबाद)

आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग का विवरण –

1. मु0अ0स0 0342/2020 धारा 454/380/411 भादवि0 थाना लिंक रोड़ गाजियाबाद

मिक्षित शराब बनाने व तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार- थाना लोनी पुलिस द्वारा एक अभियुक्त सोमनाथ s/0 रामप्रसाद R/0 अंजली विहार उम्र करीब 52 वर्ष थाना लोनी गा0बाद उम्र 19 वर्ष को 62 पव्वे CRAZY ROMEO मार्का एक 05 लीटर की प्लास्टिक की कैन में मिश्रित शराब, लगभग 250 GM यूरिया खाद व 12 पव्वे खाली प्लास्टिक सहित अंजली विहार में खाली प्लाट में प्रेम के मकान के पास हल्का ओपी डीएलएफ से दिनांक 14.10.2020 समय 10.00 बजे गिरफ्तार किया गया।

कड़ाई से पूछताछ करने पर पकड़े गये अभियुक्त ने बताया कि साहब मैं अवैध व मिश्रित शराब बेचता हूँ। जिससे मैं मुनाफा कमाकर अपना खर्चा चलाता हूं। अभियुक्त का यह जुर्म धारा 60/63 आबकारी अधि0 व 272 भादवि की हद को पहुंचता है

अपराध कारित करने का तरीका (MODOUS OPERANDY):-

उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि हम थाना लोनी क्षेत्र में कच्ची देशी अवैध व मिश्रित शराब बेचता हूँ। जिससे मेरा खर्चा चल जाता है।

नाम पता गिरफ्तार अभि0-

सोमनाथ s/0 रामप्रसाद R/0 अंजली विहार उम्र करीब 52 वर्ष थाना लोनी गा0बाद उम्र 19 वर्ष

अभियोगों का विवरणः-

857/2020 धारा 60/63 आबकारी अधि0 व 272 भादवि थाना लोनी गाजियाबाद

बरामदगी का विवरणः-

62 पव्वे CRAZY ROMEO मार्का,
एक 05 लीटर की प्लास्टिक की कैन में मिश्रित शराब,
लगभग 250 GM यूरिया खाद
12 पव्वे खाली प्लास्टिक नाजायज बरामद।

थाना साहिबाबाद क्षेत्र के निवासी अजय पांचाल पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी 11/213, सैक्टर 03 राजेन्द्र नगर साहिबाबाद की हत्या जैसे गम्भीर अपराध का 48 घंटे में पुलिस द्वारा खुलासा-

दिनांक 12.10.2020 को श्री कुलदीप पांचाल पुत्र ओमप्रकाश नि0 11/213 सै 03 राजेन्द्र नगर साहिबाबाद गाजियाबाद द्वारा थाना साहिबाबाद पर आकर सूचना दी गयी कि उसका भाई अजय पांचाल पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी 11/213 सैक्टर 03 राजेन्द्रनरगर एक बजे से फैक्ट्री राजेन्द्र नगर औद्योगिक क्षेत्र से घर पर खाना खाने निकले थे जो न घर पहुॅचे है और नहीं वापस फैक्ट्री पहुॅचे हैं। इस सूचना पर थाना साहिबाबाद पर तत्काल जी0डी0 संख्या 053 समय 19.43

बजे इस संबंध में गुमशुदगी दर्ज कर गुमशुदा व्यक्ति की गाडी संख्या यूपी–14डी0ई0–9909 हज हाउस के सामने किनारे लावारिश अवस्था में मिलने पर थाना साहिबाबाद पर मु0अ0सं 1182/2020 धारा 364भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। कल दिनांक 13.10.2020 को अजय पांचाल का शव थाना लिंकरोड क्षेत्र में वसुन्धरा रेड लाइट से साहिबाबाद डिपो जाने वाले रोड पर पाया गया, जिसे परिवारीजन को बुलाकर शिनाख्त कराकर आवश्यक विधिक कार्यवाही कर शव को पोस्टमार्टम हेतु मोचर्री भिजवाया गया तथा अभियोग को धारा 302/201भादवि में परिवर्तित किया गया। अभियोग के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया तथा आसपास के सीसीटीवी फुटेज को चैक किया गया।

<u>अपराध कारित करने का तरीकाः–</u>

अभियुक्ता पिंकी भाटी पत्नी बंटी ने पूछताछ में बताया कि वह अजय पांचाल को अपने ससुराल के माध्यम से जानती थी। ससुराल में अजय पांचाल की बात पहले बंटी की बहन पायल से होती थी। पिंकी द्वारा अपने सास से अजय पांचाल का नम्बर मॉग लिया और दोनो की आपस में बातचीत शुरू हो गयी। पिंकी अभी 02 महीने पहले अपनी ससुराल से अर्थला में शिफ्ट होकर आयी थी और अजय पांचाल से अपनी बातचीत बढाई तथा अपने बगल में रहने वाले पडोसिन के नम्बर से अजय पांचाल से बातचीत करती थी और इन दोनों का आपस में मिलना–जुलना भी होता था और काफी बार दोनों एक दूसरे के साथ बाहर खाना–पीना भी खाते थे, और इनके रिश्ते गहरे होते चले गये। यह बात इसके पति बंटी को भी पता थी लेकिन वह कुछ बोलता नहीं था। इसी बीच इसके पति और पिंकी भाटी ने अजय पांचाल से मिलने का एक प्लान तैयार किया जिसमें बंटी ने अपने दोस्त कमल को भी शामिल किया। इन लोगों का प्लान ब्लैकमेल करने का था। बंटी से पिंकी को बताया कि अजय पांचाल को मिलने के बहाने बुलाओ और संबंध बनाओ। उसी बीच मैं और कमल नीचे आ जायेगें और इसको पकड लेगें और पैसे की मॉग करेगें। दिनांक 12.10.2020 को ऐसा ही हुआ जब बंटी और कमल नीचे आये और इनके द्वारा अजय पांचाल को पकड लिया गया। अजय पांचाल द्वारा विरोध किया गया तो दानों पक्षों में आपस में हाथापाई शुरू हो गयी और अजय पांचाल से पैसों की मॉग करने लगे फिर अजय पांचाल को बंटी और कमल द्वारा बैड पर गिरा दिया और उग्र होकर इन लोगों ने अजय पांचाल का गला चुन्नी से घोट दिया। इसके बाद कमल और बंटी दोनों अजय पांचाल की गाडी को लेकर हज हाउस के पास जाकर गाडी खडी करके ऑटो से वापस चले आये। शाम तक बंटी, पिंकी व कमल एक साथ घर पर ही रहे। इसके उपरान्त बंटी ने पिंकी को अपनी बहन के घर भेज दिया और रात में बंटी, कमल व अन्य 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा समय करीब 02.45 बजे आटो में अजय पांचाल के शव को ले जाकर वसुन्धरा फ्लाई ओवर पुल के पास फेंक दिया।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः–</u>

1. पिंकी भाटी पत्नी बंटी निवासी आनन्द इण्स्टीयल एरिया, साहिबाबाद

<u>पंजीकृत अभियोगो का विवरणः–</u>

1. मु0अ0सं0 1182/2020 धारा 302/201 भादवि थाना साहिबाबाद।

<u>बरामदगी का विवरणः–</u>

1. मृतक की गाडी ब्रिजा नं0 यूपो–14डी0ई0–9909 की चाबी
2. घटना में प्रयुक्त चुन्नी